प्रेस विज्ञप्ति

05.08.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक ईकाई ने कोटक महिंद्रा बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 29.07.2026 को अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है तथा 30.07.2026 को नौ अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन शिकायत दायर की है।

ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), पंचकुला, हरियाणा द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत कोटक महिंद्रा बैंक के अज्ञात अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज एफआईआर के आधार पर धन-शोधन की जांच शुरू की। एफआईआर से पता चलता है कि अज्ञात बैंक अधिकारियों द्वारा गहरे एवं सुव्यवस्थित आपराधिक षड्यंत्र के माध्यम से नगर निगम, पंचकुला के धन का गबन किया गया।

ईडी की जांच में पता चला कि कोटक महिंद्रा बैंक के तत्कालीन उप-उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने एमसी पंचकुला के अधिकारी विकास कौशिक और कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारी दिलीप राघव के साथ मिलीभगत कर एमसी पंचकुला के नाम पर दो अनाधिकृत बैंक खाते खोले। ये खाते खोलने के लिए उन्होंने एमसी पंचकुला की ओर से कथित तौर पर कई फर्जी दस्तावेज और प्राधिकार पत्र का इस्तेमाल किया, जैसा कि कोटक महिंद्रा बैंक के आंतरिक मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के तहत आवश्यक है। एमसी पंचकुला द्वारा भेजे गए सभी वास्तविक संचार, प्राधिकार-पत्रों तथा निर्देशों की अनदेखी की गई और इन दोनों अवैध खातों को खोलने के उद्देश्य से पुष्पिंदर सिंह एवं विकास कौशिक ने अन्य व्यक्तियों के सहयोग से समानांतर प्राधिकार-पत्रों की एक श्रृंखला तैयार की। इसके बाद उन्होंने एमसी पंचकुला के नाम से तैयार किए गए फर्जी प्राधिकार-पत्रों के माध्यम से कोटक महिंद्रा बैंक में एमसी पंचकुला के वास्तविक खातों में उपलब्ध धनराशि को इन अनधिकृत खातों में स्थानांतरित कर दिया। यह भी ज्ञात हुआ है कि कोटक महिंद्रा बैंक के सतीश कुमार भी एमसी पंचकुला के धन के गबन की इस धोखाधड़ी में शामिल थे।

यह ध्यान देने योग्य है कि इन दोनों फर्जी खातों से जुड़े मोबाइल नंबरों एवं ई-मेल आईडी, साथ ही एमसी पंचकुला के वास्तविक खातों से संबद्ध मोबाइल नंबरों एवं ई-मेल आईडी को भी ऐसे मोबाइल नंबरों एवं ई-मेल आईडी से अद्यतन कर दिया गया था, जो विकास कौशिक एवं पुष्पिंदर सिंह के प्रभावी नियंत्रण में थे, ताकि अनधिकृत बैंक हस्तांतरण को रोकने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक की एसओपी में निर्धारित जांच एवं संतुलन (Checks and Balances) व्यवस्था को निष्प्रभावी किया जा सके। इस प्रकार, अन्य व्यक्तियों के सहयोग से कोटक महिंद्रा बैंक के पुष्पिंदर सिंह तथा एमसी पंचकुला के विकास कौशिक की मिलीभगतपूर्ण कार्रवाई के कारण जांच एवं संतुलन की पूरी व्यवस्था पूरी तरह से खतरे में पड़ गई। फर्जी एवं जाली प्राधिकार-पत्रों से संबंधित ऐसे अवैध लेनदेन को अधिकृत करने के लिए आवश्यक सभी पुष्टिकरण विकास कौशिक के नियंत्रण वाले मोबाइल नंबरों एवं ई-मेल आईडी पर भेजे गए, जिससे इस धोखाधड़ी को निर्बाध रूप से अंजाम दिया जा सके।

पुष्पिंदर सिंह एवं विकास कौशिक द्वारा एमसी पंचकुला के नाम पर खोले गए इन दोनों अनधिकृत बैंक खातों में धनराशि प्राप्त होने के बाद, उक्त धनराशि को आगे रजत डाहरा, स्वाति तोमर, कपिल कुमार, विनोद कुमार एवं सोनिया जैसे व्यक्तियों तथा एस.के. एग्रोटेक एवं एस.के. एग्रोफर्म जैसी संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया, ताकि धन की आगे परतबंदी (Layering) की जा सके तथा अपराध से प्राप्त आगम के स्रोत को छिपाया जा सके। ये हस्तांतरण भी कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा निर्धारित आंतरिक प्रक्रियाओं का पालन दर्शाने के लिए एमसी पंचकुला के नाम पर तैयार किए गए फर्जी एवं जाली दस्तावेजों की श्रृंखला के माध्यम से पुष्पिंदर सिंह एवं विकास कौशिक द्वारा किए गए। स्वाति तोमर एवं रजत डाहरा जैसे मध्यस्थों के खाते पुष्पिंदर सिंह के प्रभावी नियंत्रण में थे। इन खातों का उपयोग पुष्पिंदर सिंह द्वारा एमसी पंचकुला से अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को अपने व्यक्तिगत खातों, अपनी पत्नी प्रीति ठाकुर के खातों में स्थानांतरित करने तथा अचल संपत्तियों एवं लक्जरी कारों, घड़ियों और फर्नीचर जैसी चल संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया।

इसके अलावा, इन धनराशियों का उपयोग पुष्पेंद्र सिंह द्वारा सनी गर्ग, प्रियंका गर्ग, समर मोहन रंगा और आर्यन सिंह जैसे व्यक्तियों तथा मेसर्स सनत रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सेंट्रल इंफ्राडेवलपर्स, मेसर्स सनत वेंचर्स एंटरप्राइजेज एलएलपी, मेसर्स सैवेज रिकॉर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड तथा मेसर्स सनत एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाओं को अत्यधिक ब्याज दर (अर्थात् 3% प्रतिमाह अथवा 36% प्रतिवर्ष) पर नकद में असुरक्षित ऋण प्रदान करने के लिए भी किया गया।

पीएमएलए जांच में यह भी स्थापित हुआ है कि पुष्पेंद्र सिंह की पत्नी प्रीति ठाकुर की आय में वित्तीय वर्ष 2022-23 से असामान्य वृद्धि हुई तथा उनकी फर्म मेसर्स चौधरी एंड सेठी लीगल एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड के कारोबार एवं लाभ में वित्तीय वर्ष 2023-24 से उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो कोटक महिंद्रा बैंक धोखाधड़ी प्रकरण में अपराध की अवधि से मेल खाती है। इस फर्म का उपयोग पुष्पेंद्र सिंह द्वारा अपराध से अर्जित आगम, अर्थात् एमसी पंचकुला के अवैध रूप से प्राप्त धन से अर्जित चल एवं अचल संपत्तियों के निपटान के लिए किया गया।

पीएमएलए जांच के दौरान, पीएमएलए, 2002 की धारा 17(1) के तहत दिनांक 22.04.2026 को पुष्पेंद्र सिंह, रजत डाहरा, दिलीप कुमार राघव, विकास कौशिक, सनत रियल्टर्स, सनी गर्ग तथा कपिल कुमार के परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके दौरान अपराध-संकेती साक्ष्य एवं दस्तावेज बरामद एवं जब्त किए गए।

जांच के दौरान यह भी पता चला कि पुष्पेंद्र सिंह ने एमसी पंचकुला के धन के गबन से अर्जित अपराध की आगम से पोर्श केयेन (Porsche Cayenne), बीएमडब्ल्यू 740LI, बीएमडब्ल्यू X7, बीएमडब्ल्यू 749I, जीप रैंगलर (2021), जीप रैंगलर (2024), बीएमडब्ल्यू Z4, लैंड क्रूज़र तथा हार्ले डेविडसन जैसे अनेक लग्जरी वाहन खरीदे थे। जांच में यह भी पाया गया कि धोखाधड़ी का खुलासा होने के बाद इन वाहनों को तृतीय पक्षों को बेच दिया गया। इसके अतिरिक्त, धोखाधड़ी का खुलासा होने के बाद पुष्पेंद्र सिंह ने जानबूझकर पंचकुला के सेक्टर-2 स्थित अपनी संपत्तियां अपनी बहन गुनिता सेठी को बेच दीं। इन संपत्तियों के एवज में गुनिता सेठी को जो धन प्राप्त हुआ, वह स्वयं पुष्पेंद्र सिंह की पत्नी प्रीति ठाकुर की फर्म मेसर्स चौधरी एंड सेठी लीगल एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त हुआ था। धन का यह राउंड ट्रिपिंग (Round Tripping) इस उद्देश्य से किया गया कि उक्त संपत्तियों के वास्तविक स्वामित्व को छिपाया जा सके तथा उन्हें पीएमएलए के प्रावधानों के तहत कुर्की की कार्रवाई से बचाया जा सके।

उपरोक्त अपराध के परिणामस्वरूप एमसी पंचकुला की **107.24 करोड़ रुपये** की कुल शुद्ध धनराशि एमसी पंचकुला के नाम पर खोले गए अवैध खातों तथा बिचौलियों एवं लाभार्थियों के खातों में रखी गई। अभियुक्त पुष्पेंद्र सिंह ने एमसी पंचकुला से गबन की गई उक्त धनराशि पर अवैध रूप से भारी ब्याज अर्जित किया तथा उसे असुरक्षित ऋण के रूप में आगे वितरित किया। अतः वर्तमान मामले में, पीएमएलए, 2002 की धारा 5(1) के तहत जारी अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) के अंतर्गत अस्थायी रूप से कुर्क की गई अपराध से अर्जित आगम का कुल मूल्य **131.13 करोड़** रुपये है। इसमें **12.85 करोड़** रुपये की बैंक जमा राशि तथा **118.28 करोड़** रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां शामिल हैं। यह राशि एमसी पंचकुला से गबन किए गए धन का 100 प्रतिशत तथा पुष्पेंद्र सिंह द्वारा दिए गए असुरक्षित ऋणों के बदले सनी गर्ग एवं समर मोहन रंगा की संस्थाओं द्वारा नकद में किए गए ब्याज भुगतान के एक हिस्से को भी समाहित करती है। कानून प्रवर्तन एजेंसी (LEA) द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के मात्र चार माह के भीतर ईडी ने एमसी पंचकुला के गबन किए गए धन का 100 प्रतिशत सफलतापूर्वक कुर्क कर लिया है।

इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में मास्टरमाइंड एवं कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक पुष्पेंद्र सिंह, जिसने एमसी पंचकुला के नाम पर अनधिकृत बैंक खाते खोलने, वास्तविक खातों से इन अवैध खातों में धन हस्तांतरित करने, रजत डाहरा एवं स्वाति तोमर जैसे बिचौलियों के माध्यम से धन का विभिन्न स्तरों पर हस्तांतरण (लेयरिंग) करने तथा अंततः उक्त धन का उपयोग चल एवं अचल संपत्तियों के अधिग्रहण एवं अत्यधिक नकद ब्याज के बदले असुरक्षित ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, को ईडी द्वारा दिनांक 01.06.2026 को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, पंचकुला द्वारा उसे हिरासत में पूछताछ हेतु नौ दिनों की ईडी हिरासत में भेजा गया।

इसके अतिरिक्त, पीएमएलए, 2002 की धारा 44 एवं 45 के तहत एमसी पंचकुला से संबंधित कोटक महिंद्रा बैंक धोखाधड़ी प्रकरण में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत की जा रही जांच में नौ अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन शिकायत दायर की गई है।

आगे की जाँच जारी है।